राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम / भू.अ. / एल.आर.सी. / एफ–119 / 2901 दिनांक 19-3-12

– : परिपत्र : –

राजस्थान के समस्त कृषि भूमि स्वामित्व का (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के रूप में कम्प्यूटर पर उपलब्ध है, जिसकी प्रतिलिपि जारी करने हेतु निजी क्षेत्र में कार्यरत साइबर कैफे को लाइसेन्स जारी कर अधिकृत किया जाता रहा है । जिला कलक्टर कार्यालय से अधिकृत साइबर कैफे से जो प्रतिलिपि जारी की जाती है वह प्रमाणित व वैध नहीं होती है । यदि किसी व्यक्ति को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति की आवश्यक होती है तो उसे साइबर कैफे द्वारा जारी प्रतिलिपि को संबंधित राजस्व पटवारी से निर्धारित शुल्क अदा कर प्रमाणित करवाना पड़ता है । इस प्रकार राजस्व अभिलेख की प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि के लिए काश्तकार को पूर्णतः पटवारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

काश्तकारों को देश के किसी भी कोने में रहते हुए राजस्व अभिलेख की प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि प्राप्त हो सके इस प्रयोजन से जिस प्रकार ई–गवर्नेन्स प्लॉन के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्द्रों पर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाये गए है उसी प्रकार डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्णतः वैध व प्रमाणित मानी जाएगी ।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र Information Technology Act, 2000 अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3 एवं संशोधित आई.टी. एक्ट 2009 के बिन्दु संख्या 'ई' में प्रदत्त शक्तियां के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों में अब डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता प्रदान कर दी गई है । इसी परिपत्र के तहत् कम्प्यूटर द्वारा प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि जारी करने हेतु उक्त सेवा को टोंक जिले की निवाई तहसील में लागू करने की राज्य सरकार की सहमति के बाद जमाबन्दी कम्प्यूटरीकृत एतदद्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है । इस प्रकार कम्प्यूटर द्वारा जारी प्रति को अलग से हल्का पटवारी अथवा अन्य किसी भी राजस्व अधिकारी से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

इसे तहसील अपना खाता केन्द्र अथवा जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अधिकृत CSCs व साइबर कैफे से प्राप्त किया जा सकता है । सूचना के लिए जमाबन्दी इन्टरनेट पर "अपना खाता" नामक वेबसाइट पर भी किसी भी स्थान से देखी जा सकती है ।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांक: राम / 2902 दिनांक 19-3-12

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार ।
3. शासन सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर ।
4. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. श्री अरविन्दम् तोमर, आई.एफ.एस. परियोजना निदेशक, (NLRMP) अरावली भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, समस्त ।
8. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को राविरा में प्रकाशन हेतु प्रेषित है ।

उप निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर